

2. यह उन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मामले में लागू है जो एक राज्य / संघ क्षेत्र प्रशासन से प्रत्यावर्तित हुए हैं।
यह प्रमाण—पत्र श्री / श्रीमती / कुमारी.....
.....के पिता / माता श्री / श्रीमती.....निवासी
ग्राम / कस्बा.....जिला / संभाग.....
.....प्रदेश / संघ क्षेत्र.....को जारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण—पत्र के आधार पर जारी किया गया जो.....
.....जाति / जनजाति से संबंधित है जो.....
राज्य / संघ क्षेत्र में.....द्वारा जारी.....दिनांक
.....द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति / जनजाति के हैं।
3. श्री / श्रीमती / कुमारी और उनका परिवार सामान्यतः ग्राम / कस्बा.....
.....जिला / संभाग.....राज्य / संघ क्षेत्र.....
में रहता है।
राज्य / संघ क्षेत्र
स्थान:.....हस्ताक्षर.....
दिनांक:.....पदनाम.....
(कार्यालय की मोहर)

जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दें।
कृपया राष्ट्रपति का विनिर्दिष्ट आदेश उद्धृत करें।
जो अनुच्छेद लागू न हो, उसे काट दें।
टिप्पणी: यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का आशय वही है जो लोक अभ्यावेदन अधिनियम 1950 के खण्ड 20 का है।
अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाण—पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:—
(1) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट / एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट / एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर / तालुक मजिस्ट्रेट / एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
(2) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
(3) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे न हो।
(4) क्षेत्र का सब—डिवीजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और / या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।
(5) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित राज्य सरकार या केन्द्रीय राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र
(6) प्रशासक / सचिव प्रशासक (लक्ष्मीप, मिनीकाँय और अमनदीव द्वीप)

परिशिष्ट – ख

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण—पत्र का प्रारूप
प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.....
.....पुत्र / पुत्री.....राज्य / संघ राज्य क्षेत्र.....
.....जिला / मंडल.....ग्राम / शहर.....
.....के निवासी हैं जो
.....समुदाय के हैं जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं शक्तीकरण मंत्रालय के दिनांकके संकल्प संख्या
.....के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।*
श्री / श्रीमती / कुमारीतथा उनका परिवार सामान्यतयाराज्य / संघ राज्य क्षेत्र.....
.....जिला / मंडल के निवासी हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार ए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08 / 9 / 1993 के काज्ञा सं. 36012 / 22 / 93—स्था. (एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों / वर्गों (नवोन्नत वर्ग) कि श्रेणी से संबंधित नहीं है।**

दिनांक

जिलाधिकारी
उपायुक्त इत्यादि

मुहर

* . प्रमाण—पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प में व्यौरों का उल्लेख करना है जिसमें उम्मीदवार की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख किया गया है।
** . समय—समय पर संशोधित।

टिप्पणी:— यहां प्रयुक्त 'साधारण निवासी' का अर्थ वहीं है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में वर्णित है।

परिशिष्ट – ग

बोर्ड के पत्रांक सं० ई(आरआरबी) / 2009 / 25 / 21 दिनांक

28.10.2009 के पैरा—3 के अनुसार प्रधान पत्र पर जारी किये जाने वाले आय प्रमाण पत्र प्रारूप।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (जिनके परिवार की वार्षिक आय रु 50,000 से कम हो) के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट का प्रारूप

1. अभ्यर्थी का नाम.....
1. पिता / पति का नाम.....
2. आयु.....
3. घर का पता.....
4. परिवार की वार्षिक आय.....
(शब्दों एवं अंकों में)
6. निर्गत तिथि.....
7. हस्ताक्षर.....

(जारी करने वाले अधिकारी का नाम)

जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर